## सेक्यूरोक्रॉप सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

रजि.कार्यालय : यूनिट नं. 203, प्लाजा- पी 3, सेंट्रल स्क्वायर बारा हिंदू राव,
सेंट्रल दिल्ली- 110006; सीआईएन: U74899DL1995PTC065534
फोन: 011-49068377, ईमेल: securocrop@yahoo.com

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को अधिकार के आधार पर भा.रु.10,000 प्रत्येक के निर्गम मूल्य पर कुल मिलाकर भा.रु.17.992 करोड़ ('राइट्स इश्यू') पर रु.10,000 प्रत्येक के 17,992 (सत्रह हजार नौ सौ बानबे) तक का वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर जारी करना।

| | |
|---|---|
| राइट्स इश्यू खुलने की तिथि | मंगलवार, 20 फरवरी 2024 |
| राइट्स इश्यू बंद होने की तिथि | मंगलवार, 19 मार्च 2024 |

सेवा में,
सिक्यूरोक्रॉप सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारक
प्रिय शेयरधारक

यह कंपनी के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के उपरोक्त राइट्स इश्यू का संदर्भ है, जिसके लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्ताव पत्र कंपनी के सभी इक्विटी शेयरधारकों को पहले ही भेजा जा चुका है, जिनके पास रिकॉर्ड तिथि 12 फरवरी, 2024 तक शेयर हैं। हम आपकी सुविधा के लिए याद दिलाना और सूचित करना चाहते हैं कि उपरोक्त राइट्स इश्यू अभी भी खुला है और समापन तिथि तेजी निकट से आ रही है।

यदि किसी शेयरधारक ने अभी तक उपरोक्त राइट्स इश्यू में भाग नहीं लिया है, तो वे अब समापन तिथि पर या उससे पहले भाग ले सकते हैं। राइट्स इश्यू के सभी नियम एवं शर्तें और विवरण शेयरधारकों को पहले ही भेजे गए प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित हैं।

धन्यवाद

कृते सिक्यूरोक्रॉप सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
दिनेश पारीख
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00629464

दिनांकः 11-03-2024
स्थानः दिल्ली

---

प्रपत्र सं. 3 [ विनियम-15 (1) (क) / 16 (3) देखें ]

## ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्पेस आबंटित)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन

वाद सं. : ओ.ए./988/2023 ईएक्सएच. नंबर : 21845

एचडीएफसी बनाम मनोज कुमार

सेवा में,

(1) मनोज कुमार डी/डब्ल्यू/एस/ओ- तुलसी राम सिंह मनोज कुमार (कर्जदार) पुत्र श्री तुलसी राम सिंह, निवासी मकान नंबर 1647, एसजीएम नगर, फरीदाबाद, हरियाणा-121001. फरीदाबाद, हरियाणा
(2) कृपावंती पत्नी श्री मनोज कुमार, मकान नंबर 1647, एसजीएम नगर, फरीदाबाद, हरियाणा-121001. पत्नी श्री मनोज कुमार, मकान नंबर 1647, एसजीएम नगर, फरीदाबाद, हरियाणा-121001.
(3) जोगिन्दर प्रसाद तिवारी, मकान नंबर एफसीए 1589, 22 फीट रोड, एसजीएम नगर, फरीदाबाद, (हरियाणा) फरीदाबाद, हरियाणा-121001.
(4) गौतम भगत पुत्र केशव मकान नंबर बी-2967, एसजीएम नगर, फरीदाबाद, (हरियाणा) फरीदाबाद, हरियाणा-121001.

### सम्मन

जबकि, ओए/988/2023 माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 29-01-2024 को पेश किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 43,49,140.61/- की ऋण वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है :- i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए ; ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें ; iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है ; iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे ; v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 03-05-2024 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 01-02-2024 को दिया गया।

सम्मन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

---

## हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057
दूरभाष : 011-49267000, टोल फ्री नंबर : 1800 212 8800, ईमेल : customer.care@herohfl.com
वेबसाइट : www.herohousingfinance.com, सीआईएन : यू65192डीएल2016पीएलसी30148
संपर्क पता : बिल्डिंग नं. 27, द्वितीय तल, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

### अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न अंकितानुसार एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, निम्न संदर्भित एक राशि तथा निम्न अंकित तिथि से इस राशि पर आकलित ब्याज और दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

<table>
<tr><th>ऋण खाता सं.</th><th>दायित्वधारक(कों)/ विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम</th><th>मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना के अनुसार राशि</th><th>अधिग्रहण की तिथि (रचनागत/भौतिक)</th></tr>
<tr><td>HHFNSPHOU22000019547 & HHFNSPIPL22000019548</td><td>अमन गुप्ता, सुनीता गुप्ता</td><td>22/08/2023, रु. 16,57,053/- दिनांक 21/08/2023 के अनुसार</td><td>07/03/2024 (भौतिक)</td></tr>
<tr><td colspan="4"><b>प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण :</b> फ्लैट नं. यूजीएफ-02, ऊपरी भू तल, आगे बायें हाथ की ओर, भूखंड सं. ए-87 पर निर्मित छत के बिना, खसरा सं. 353, क्षेत्र मापन 440 वर्ग फुट अर्थात् 40.876 वर्ग मीटर, रेल विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ग्राम सदुल्लाबाद, तहसील लोनी, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित है, जिसमें दो शयनकक्ष, एक प्रदर्शनी कक्ष, एक रसोई और दो शौचालय व स्नानागार हैं, तथा जो निम्नानुसार परिसीमित है :- उत्तर- पीछे की यूनिट / अन्य की संपत्ति, पूर्व- आरएचएफ फ्लैट / रिक्त भूखंड सं. ए-86, दक्षिण- 30 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम- रिक्त भूखंड सं. ए-88</td></tr>
<tr><td>HHFLAXHOU2200 0019714</td><td>विनोद कुमार, नेहा कश्यप, सत्यम पुत्र विनोद कुमार</td><td>22/08/2023, रु. 10,98,264/- दिनांक 21/08/2023 के अनुसार</td><td>06/03/2024 (भौतिक)</td></tr>
<tr><td colspan="4">प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : फ्लैट नं. एफएफ-03, एलआईजी, प्रथम तल, छताधिकारों के बिना, पीछे सीधे हाथ की ओर, जिसमें एक प्रदर्शनी / भोजन कक्ष, एक शयनकक्ष, एक शौचालय एवं एक रसोई है जिसका आवृत्त क्षेत्र मापन 308 वर्ग फुट अर्थात् 28.61 वर्ग मीटर है, जो भूखंड सं. एफ-101, खसरा सं. 180/3 एवं 181, ब्लॉक-एफ, एसएलएफ वेद विहार, ग्राम- सदुल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, जनपद- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- उत्तर- अन्य की संपत्ति, पूर्व- भूखंड सं. एफ-102, दक्षिण- आगे की यूनिट एफएफ-2/9 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम- यूनिट नं. एफएफ-4/भूखंड सं. एफ-100</td></tr>
</table>

दिनांक : 12-03-2024
स्थान : दिल्ली/राराक्षे

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

---

## क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नंबर 23, 5वीं मंजिल, गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली- 108 0008

### कब्जा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(3)

जबकि नेशनल हाउसिंग बैंक अधिनियम के तहत हाउसिंग फाइनेंस बैंक कंपनी क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (क्लिक्स) के अधिकृत अधिकारी इसका पंजीकृत कार्यालय हैः अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नंबर 23, 5वीं मंजिल, गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ( 2002 के 54) का प्रवर्तन (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2002 ने दिनांक 15-दिसम्बर 2023 को एक मांग सूचना जारी कर आमंत्रित किया।

1. मैसर्स ओम प्रकाश मीना पुत्र राम स्वरूप मीना एफ.नं.-एस-2, प्लॉट नं. 1, हनुमान सिटी-बी, इंद्रपुरी, वृंदावन रेजीडेंसी, जयपुर, राजस्थान-302022। यहां भी :- ग्राम ग्राम-डाबर, विशाला, दौसा, राजस्थान-321608। यहां भीः - हैरियन लॉजिस्टिक्स अपनी प्रोपराइटर शॉप नंबर 2 पहली मंजिल, सदर थाना सांगानेर, भारत गेट 1 के पास,, बारव स्नैमनेर, जयपुर, राजस्थान 2
2. मैसर्स. हरि राम मीना पुत्र राम स्वरूप मीना एफ.नं.-एस-2, प्लॉट नं. 1, हनुमान सिटी-बी, इंद्रपुरी, वृंदावन रेजीडेंसी, जयपुर, राजस्थान-302022 यहां भी :- ग्राम ग्राम-डाबर, विशाला, दौसा, राजस्थान-321608। 3. श्रीमती. छोटी बाई पत्नी राम स्वरूप मीना, एफ नं. - 2, प्लॉट नंबर 1, हनुमान सिटी-बी, इंद्रपुरी, वृंदावन रेजीडेंसी, जयपुर, राजस्थान-302022। यहां भीः- मूंडफोन, नोरानवाड़ा, दौसा, राजस्थान-321608 यहां भी : एचटीएस लॉजिस्टिक्स अपने प्रोपराइटर शॉप नंबर 2 पहली मंजिल सदर थाना सांगानेर भारत के पास गेट 1, बारव स्नगनेर, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से

नोटिस में उल्लिखित राशि यानी रुपये रु.9,68,549/- (नौ लाख अड़सठ हजार पांच सौ उनचालीस रुपये मात्र) दिनांक 13-अप्रैल-2023, लागू ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ उक्त नोटिस. प्राप्ति की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा था, इसके द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के के तहत अधिनियम धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 09 मार्च 2024 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन रु. की राशि रु.9,68,549/- (नौ लाख अड़सठ हजार पांच सौ उनचालीस रुपये मात्र) दिनांक 13-अप्रैल-2023, लागू ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ क्लिक्स के शुल्क के अधीन होगा।

सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

**अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण इस प्रकार है:**

'संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और टुकड़ा, जिसका प्लॉट नंबर 1, दूसरी मंजिल पर, यूनिट नंबर एस-01, आवासीय योजना हनुमान सिटी-बी, (वृंदावन रेजीडेंसी के रूप में जाना जाता है) गांव इंद्रपुरी, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान 302022 , कुल क्षेत्रफल 445 वर्ग फुट'

स्थानः जयपुर
दिनांकः 09.03.2024

प्राधिकृत अधिकारी
क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

---

## टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग,
लोअर परेल, मुम्बई-40013
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर-भाग 2,
एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024

### अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के तहत)

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना**

जनसामान्य को और विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदार) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से कुल राशि की वसूली हेतु **"जहाँ है जैसे है", "जो है जैसे है" तथा "जो भी है वहीं है" के आधार पर** 28.03.2024 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन/असततता की अनुपस्थिति में, आस्ति/सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा कथित 28.03.2024 को 2 बजे अप. की जायेगी। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी के डिमाण्ड ड्राफ्ट वाला मुहरबन्द लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी के पास शाखा पता टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर, भाग-2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024 पर 27.03.2024 को 5 बजे अप. तक जमा करना है।

प्रतिभूत आस्ति/अचल सम्पत्ति की बिक्री **"जहाँ है जैसे है स्थिति"** में नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार की जायेगी :

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>ऋण खाता सं. तथा शाखा</th><th>दायित्वधारी(यों)/सह-कर्जदार(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों)/जमानती(यों) के नाम</th><th>माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि</th><th>आरक्षित मूल्य</th><th>जमा धरोहर राशि</th><th>कब्जे का प्रकार</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>986713 4 & 987124 2</td><td>श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह, श्रीमती रखविन्दर कौर पत्नी श्री गुरदीप सिंह</td><td>रु. 42,51,212/- (रुपये बयालीस लाख इक्यावन हजार दो सौ बारह मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता संख्या 9867134 के अंतर्गत देय एवं बकाया है तथा राशि रु. 2,42,338/- (रुपये दो लाख बयालीस हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता संख्या 9871242 के अंतर्गत देय और बकाया है अर्थात कुल रु. 44,93,550/- (रुपये चौवालीस लाख तिरानबे हजार पांच सौ पचास मात्र)<br>28-09-2023</td><td>रु. 28,60,000/- (रुपये अट्ठाईस लाख साठ हजार मात्र)</td><td>रु. 2,86,000/- (रुपये दो लाख छियासी हजार मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल संपत्ति का विवरण:</b> आवासीय फ्लैट नंबर 1401 का समस्त भाग, 14वीं मंजिल, माप सुपर एरिया 1060 वर्ग फीट, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रिदम काउंटी, टॉवर ट्रान्स, प्लॉट नंबर जीएच - 16ई, सेक्टर -01, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम), गौतमबुद्ध नगर- 201308 (उत्तर प्रदेश) में स्थित है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10391988 & 10429051</td><td>श्री अक्षय कुमार बेहरा</td><td>रु. 11,99,372/- आपके द्वारा अनुबंध सं. 10391988 के तहत बकाया एवं देय है तथा रु. 71,803/- आपके द्वारा अनुबंध सं. 10429051 के द्वारा बकाया एवं देय है, कुल रु. 12,71,175/- (रुपये बारह लाख इकहत्तर हजार एक सौ पिचहत्तर मात्र)<br>24-06-2021</td><td>रु. 7,00,000/- (रुपये सात लाख मात्र)</td><td>रु. 70,000/- (रुपये सत्तर हजार मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल सम्पत्ति का विवरण</b> : फ्लैट नं. 39, एलआईजी/वन बीआर, 4था तल, ब्लॉक-एफ3, पॉकेट-2, नरेला, 110040, दिल्ली का सम्पूर्ण भाग। क्षेत्रफल माप : 33.29 वर्ग मीटर प्लिन्थ एरिया (कॉमन एरिया सहित) (कारपेट एरिया 25.50 वर्ग मीटर)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>TCHHL 039900 010000 2728 & TCHIN0 362000 100002 746</td><td>श्री राजेंद्र प्रताप सिंह पुत्र श्री निधान लाल सिंह, श्रीमती स्वेता उर्फ स्वैता सिंह पत्नी श्री राजेंद्र प्रताप सिंह</td><td>रु. 4,04,60,497/- (रुपये चार करोड़ चार लाख साठ हजार चार सौ सत्तानवे मात्र) ऋण समझौते TCHHL0399000100002728 के तहत आपके द्वारा देय और बकाया है और रु. 8,81,547/- (रुपये आठ लाख इक्यासी हजार पांच सौ सैंतालीस मात्र) अनुबंध संख्या TCHIN0362000100002746 के तहत आपके द्वारा देय एवं बकाया है, कुल रु. 4,13,42,044/- (रुपये चार करोड़ तेरह लाख बयालीस हजार चौवालीस मात्र)<br>18-04-2023</td><td>रु. 3,50,00,000/- (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)</td><td>रु. 35,00,000/- (रुपये पैंतीस लाख मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल संपत्ति का विवरण:</b> आवासीय संपत्ति दूसरी मंजिल पर फ्रंट साइड के हिस्से का समस्त भाग, प्लॉट नंबर 20 के उत्तरी तरफ निर्मित, कुल क्षेत्रफल 796.55 वर्ग गज में से 398.275 वर्ग गज, ब्लॉक ए, नारायणा विहार, नई दिल्ली में स्थित, बिक्री विलेख के तहत सभी सुविधाओं के साथ। सीमाः- पूर्वः- प्लॉट नंबर 21, पश्चिमः- प्लॉट नंबर 19, उत्तरः- सड़क, दक्षिणः- सड़क<br>नोट;-1) टीसीएचएफएल (एसए/345/2023) के विरुद्ध कर्जदार द्वारा दायर एसए आवेदन डीआरटी-2, दिल्ली के समक्ष लंबित है। उक्त मामले में टीसीएचएफएल के खिलाफ कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है<br>2) टीसीएचएफएल के खिलाफ कर्जदार द्वारा दायर विविध अपील (विविधि अपील/254/2023 आईए/906/2023) डीआरएटी दिल्ली के समक्ष लंबित है। उक्त मामले में टीसीएचएफएल के खिलाफ कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है<br>बोलीदाताओं को बोली जमा करने से पहले ड्यू डिलिजेंस करने की सलाह दी जाती है। नीलामी मुकदमेबाजी के नतीजे के अधीन होगी।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>100970 89 & 100989 02 & 101179 05 & 101176 21</td><td>श्री वेद प्रकाश पांडे, श्री प्रदीप चौहान एवं ऋषभ इंटीरियर प्रा. लिमिटेड</td><td>रु. 1,08,93,814/- (रुपये एक करोड़ आठ लाख तिरानबे हजार आठ सौ चौदह मात्र) आपके द्वारा अनुबंध संख्या 10097089 के अंतर्गत देय एवं बकाया है तथा राशि रु. 1,08,95,283/- (रुपये एक करोड़ आठ लाख पिचानबे हजार दो सौ तिरासी मात्र) आपके द्वारा अनुबंध संख्या 10098902 के अंतर्गत देय एवं बकाया है तथा राशि रु. रु. 1,54,540/- (रुपये एक लाख चौवन हजार पांच सौ चालीस मात्र) आपके द्वारा अनुबंध संख्या 10117621 के अंतर्गत देय एवं बकाया है एवं राशि रु. 1,55,849/- (रुपये एक लाख पचपन हजार आठ सौ उनचास मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता संख्या 10117905 के अंतर्गत देय एवं बकाया है, कुल रु. 2,20,99,486/- (रुपये दो करोड़, बीस लाख, निन्यानवे सौ, चार सौ छियासी मात्र)<br>29-06-2021</td><td>फ्लैट नं. बी-1802-रु. 99,00,000/- (रुपये निन्यानबे लाख मात्र) तथा फ्लैट नं. बी-1602 : रु. 99,00,000/- (रुपये निन्यानबे लाख मात्र)</td><td>फ्लैट नं. बी-1802- रु. 9,90,000/- (रुपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र) तथा फ्लैट नं. बी-1692 : रु. 9,90,000/- (रुपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र)</td><td>फ्लैट नं. बी-1802 - भौतिक फ्लैट नं. बी-1602 - सांकेतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल संपत्तियों का विवरण:</b>- संपत्ति 1: अचल संपत्ति आवासीय अपार्टमेंट/अपार्टमेंट नंबर बी-1802 का समस्त भाग, माप लगभग 2976 वर्ग फुट सुपर एरिया, ब्लॉक/टावर नंबर बी में 181वीं मंजिल पर, सेक्टर 95, गुड़गांव, हरियाणा में एनसीआर वन (ग्रीन) नामक कॉम्प्लेक्स में स्थित आनुपातिक, अविभाजित, अज्ञात और निष्पक्ष हित के साथ भूमि में हिस्सा जो उस विशेष ब्लॉक/टावर में हो सकता है जिसमें उक्त अपार्टमेंट तीन कवर्ड कार पार्किंग स्थानों और अन्य सुविधाओं के साथ क्रेता समझौते में उल्लिखित है। संपत्ति 2: अचल संपत्ति आवासीय अपार्टमेंट/अपार्टमेंट नंबर बी-1602 का समस्त भाग, आकार लगभग 2976 वर्ग फुट का सुपर एरिया, ब्लॉक/टावर नंबर बी में 16वीं मंजिल पर, सेक्टर 95, गुड़गांव, हरियाणा में एनसीआर वन (ग्रीन) नामक कॉम्प्लेक्स में स्थित आनुपातिक, अविभाजित, अज्ञात और निष्पक्ष हित के साथ भूमि में हिस्सा जो उस विशेष ब्लॉक/टावर के नीचे हो सकता है जिसमें उक्त अपार्टमेंट तीन कवर्ड कार पार्किंग स्थानों और अन्य सुविधाओं के साथ क्रेता समझौते में उल्लिखित है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>100329 71</td><td>श्री योगेश कुमार उर्फ योगेश कुमार सोनी पुत्र श्री कंवर पाल सिंह उर्फ कुवर पाल सिंह श्रीमती वीना शर्मा पत्नी श्री योगेश कुमार सोनी</td><td>रु. 58,29,371/- (रुपये अट्ठावन लाख उनतीस हजार तीन सौ इकहत्तर मात्र)<br>25-11-2022</td><td>रु. 30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र)</td><td>रु. 3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल संपत्ति का विवरण:</b> 14वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर-सी1501 का समस्त भाग, माप 1670.00 वर्ग फीट सुपर एरिया, टॉवर-सी, 'सेवी विले डे' नामक परियोजना में, ग्राम नूर नगर, परगना लोनी, तहसील एवं जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, आवासीय इकाई के अनुबंध के तहत सभी सामान्य सुविधाओं के साथ।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>102851 95</td><td>श्री अभिजीत देबनाथ, श्रीमती श्रबोनीनाथ</td><td>रु. 22,76,209/- (रुपये बाईस लाख छिहत्तर हजार दो सौ नौ मात्र)<br>18-06-2021</td><td>रु. 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र)</td><td>रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल संपत्ति का विवरण:</b> फ्लैट/अपार्टमेंट नं. सी-1401 का समस्त भाग, माप 61.55 वर्ग मीटर, कारपेट एरिया (662.52 वर्ग फीट), 14वीं मंजिल, टॉवर-सी, साथ में गैरेज/कवर्ड पार्किंग एवं कॉमन एरिया में प्रो रेटा हिस्सा, परियोजना 'मरीना सूट्स', प्लॉट नं. जीएच-3/1, पार्क टाउन, एन.एच. 24, ग्राम-शाहपुर बम्हेटा, परगना डासना, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>988325 2</td><td>श्री हरबिन्दर सिंह आनन्द, श्री अजीत कौर</td><td>रु. 19,658,42/- (रुपये उन्नीस लाख छः सौ अट्ठावन एवं बयालीस पैसे मात्र)<br>12-05-2021</td><td>रु. 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र)</td><td>रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल सम्पत्ति का विवरण</b> : फ्लैट नं. सी-1705 का समस्त भाग, मंजिल 17वां टॉवर सी, मरीना सुइट्स, जीएच-3/1, पार्कटाउन एनएच 24 गाजियाबाद-201002 माप क्षेत्रफल 1195 वर्ग फीट</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>984664 6 & 986540 0</td><td>श्री गौरव कुमार<br>श्री सौरव कुमार</td><td>रु. 2287582/- (रुपये बाईस लाख सतासी हजार पांच सौ बयासी मात्र) आपके द्वारा अनुबंध सं. 9846646 के तहत बकाया एवं देय है तथा रु. 72461/- (रुपये बहत्तर हजार चार सौ इकसठ मात्र) आपके द्वारा अनुबंध सं. 9865400 के तहत बकाया एवं देय है, कुल रु. 2360043/- (रुपये तेईस लाख साठ हजार तैंतालीस मात्र)<br>23-07-2021</td><td>रु. 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र)</td><td>रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल संपत्ति का विवरण:</b> आवासीय संपत्ति फ्लैट नं. सी-0305, तीसरी मंजिल, टावर-सी इन मैरिन सुइट्स, जीएच-3/1, पार्कटाउन, एनएच-24, गाजियाबाद (उ.प्र.) 201301 का समस्त भाग, माप क्षेत्र 1195 वर्गफुट</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>103503 28</td><td>श्रीमती नेहा सक्सेना, श्री अभिषेक सक्सेना</td><td>रु. 62,01,907/- (रुपये बासठ लाख एक हजार नौ सौ सात मात्र)<br>31-10-2023</td><td>रु. 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र)</td><td>रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल सम्पत्ति का विवरण</b> : संपत्ति अपार्टमेंट नंबर 1801 का सम्पूर्ण भाग, टॉवर नंबर सी, 18वीं मंजिल, कुल क्षेत्रफल 1240 वर्ग फीट (115.20 वर्ग मीटर) कारपेट एरिया 662.52 वर्ग फीट (61.55 वर्ग मीटर), प्लॉट नंबर जीएच-3/1, पैकटाउन, ग्राम शाहपुर बम्हेटा, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>955622 0</td><td>स्वर्गीय श्री रमन लाल पिप्पल पुत्र श्री राम बाबू पिप्पल - अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से। श्रीमती माया देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रमन लाल पिप्पल - कानूनी उत्तराधिकारी, श्री धर्म वीर पुत्र स्वर्गीय श्री रमन लाल पिप्पल - कानूनी उत्तराधिकारी, श्री हेमंत कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रमन लाल पिप्पल - कानूनी उत्तराधिकारी , श्री जीतेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रमन लाल पिप्पल- कानूनी उत्तराधिकारी</td><td>रु. 1,02,23,225/- (रुपये एक करोड़ दो लाख तेईस हजार दो सौ पच्चीस मात्र)<br>30-05-2022</td><td>रु. 57,95,000/- (रुपये सत्तावन लाख पिचानबे हजार मात्र)</td><td>रु. 5,79,500/- (रुपये पांच लाख उन्यासी हजार पांच सौ मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल संपत्ति का विवरण:</b> आवासीय भूखंड (68'x43'), माप 328 वर्ग गज यानी 274.24 वर्ग मीटर का समस्त भाग, खसरा संख्या 3870/1 में शामिल, मौजा नराइच, इलाका सती नगर, तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित, जिसमें बिक्री पत्र में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाएं शामिल हैं। सीमाः- पूर्वः- किताब सिंह का घर, पश्चिमः- सड़क 20', उत्तरः- भगवान सिंह का घर, दक्षिणः-गली 05'</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>966651 7</td><td>श्री राजीव अग्रवाल, श्री भगवान दास अग्रवाल, श्रीमती उषा अग्रवाल, श्री रमाशंकर अग्रवाल, मैसर्स रमाशंकर अग्रवाल एण्ड कम्पनी, इसके निदेशकों/साझेदारों के माध्यम से</td><td>रु. 64,85,450/- (रुपये चौसठ लाख पिचासी हजार चार सौ पचास मात्र)<br>11-12-2019</td><td>रु. 45,00,000/- (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)</td><td>रु. 4,50,000/- (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल संपत्ति का विवरण:</b> मद संख्या 1- समस्त वाणिज्यिक संपत्ति/कार्यालय संख्या 9, ऊपरी भूतल/बेसमेंट, क्षेत्रफल 275.83 वर्ग फीट यानी 25.62 वर्ग मीटर। माप पूर्व से पश्चिम 10.6 फीट, उत्तर से दक्षिण 26.3 फीट, 300 वर्ग फीट यानी 27.86 वर्ग मीटर का सुपर बिल्ड अप एरिया, वाणिज्यिक प्लॉट नंबर 2, विश्वकर्मा प्लाजा, सेक्टर 16-बी, सिकंदरा योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुरम, लोहामंडी वार्ड, तहसील और जिला आगरा, उ.प्र. -282007 में स्थित है। बिक्री विलेख में उल्लिखित सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएँ: उत्तरः निकास और सामान्य मार्ग; पूर्वः दुकान की दीवार/यूनिट संख्या 8; पश्चिमः दुकान की दीवार/यूनिट संख्या 10; दक्षिणः विक्रेता की संपत्ति;<br>मद संख्या 2- समस्त वाणिज्यिक संपत्ति/कार्यालय संख्या 8, ऊपरी भूतल/बेसमेंट, क्षेत्रफल 275.83 वर्ग फीट यानी 25.62 वर्ग मीटर, माप पूर्व से पश्चिम 10.6 फीट, उत्तर से दक्षिण 26.3 फीट, 300 वर्ग फीट यानी 27.86 वर्ग मीटर का सुपर बिल्ड अप एरिया, वाणिज्यिक प्लॉट नंबर 2, विश्वकर्मा प्लाजा, सेक्टर 16-बी, सिकंदरा योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुरम, लोहामंडी वार्ड, तहसील और जिला आगरा, उ.प्र. -282007 में स्थित, बिक्री विलेख में लिखी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएं : उत्तरः निकास और सामान्य मार्ग; पूर्वः दुकान की दीवार/यूनिट नंबर 7; पश्चिमः दुकान की दीवार/यूनिट संख्या 9; दक्षिणः विक्रेता की संपत्ति;</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>TCHHL 037000 010007 4729</td><td>श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल, श्रीमती पूजा गोयल पत्नी श्री नीरज अग्रवाल,</td><td>रु. 22,97,714/-<br>23-09-2022</td><td>रु. 17,50,000/- (रुपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र)</td><td>रु. 1,75,000/- (रुपये एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल संपत्ति का विवरण:</b> एमसी नंबर 33/6डी/3ए/1 वाले बहुमंजिला आवासीय भवन की तीसरी मंजिल पर आवासीय फ्लैट नंबर 108 का समस्त भाग, बिल्ट अप एरिया माप 46.67 वर्ग मीटर, सुपर बिल्ट अप एरिया 622 वर्ग फीट यानी 57.78 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 1514 में निर्मित, श्री कृष्णा गोल्ड रेजीडेंसी, बल्केश्वर कुंज, मौजा घटवासन (पुरानी आबादी), वार्ड हरिपर्वत, तहसील और जिला आगरा - 282005 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाः- पूर्वः- संतोष शर्मा का घर, पश्चिमः-गलियारा और निकास, उत्तरः-कैलाश चंद्र जैन का घर, दक्षिणः-गौरव शर्मा का घर।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>106267 07</td><td>श्री अयूब खान (कर्जदार), श्रीमती नासिरा बेगम (सह-कर्जदार)</td><td>रु. 19,19,087/- (रुपये उन्नीस लाख उन्नीस हजार सत्तासी मात्र)<br>30-03-2020</td><td>रु. 8,90,000/- (रुपये आठ लाख नब्बे हजार मात्र)</td><td>रु. 89,000/- (रुपये नवासी हजार मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल सम्पत्ति का विवरण</b> : खसरा नंबर 301 पर स्थित आवासीय प्लॉट का समस्त भाग, माप 83.61 वर्ग मीटर यानी 100 वर्ग गज, गाँव कांजा दास पुर, तहसील और जिला बरेली, उत्तर प्रदेश-243001 में स्थित बिक्री विलेख में लिखी सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएँ:- पूर्वः- रवि कुमार का घर, पश्चिमः- सिराजुद्दीन का घर, उत्तर : बिक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिण : 14 फीट चौड़ी सड़क</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>100656 36</td><td>श्री पीतमलाल, श्रीमती विद्या देवी</td><td>रु. 16,41,334/- (रुपये सोलह लाख इकतालीस हजार तीन सौ चौंतीस मात्र)<br>11-06-2021</td><td>रु. 8,20,000/- (रुपये आठ लाख बीस हजार मात्र)</td><td>रु. 82,000/- (रुपये बयासी हजार मात्र)</td><td>भौतिक</td></tr>
<tr><td colspan="7"><b>अचल संपत्ति का विवरण:</b> संपत्ति सं./प्लॉट सं. का समस्त भाग : सम्पत्ति सं./प्लॉट सं.-गाटा सं. 194/2 का समस्त भाग, शारदा कॉलोनी, देश नगर, पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश, माप क्षेत्रफल 47.69 वर्ग मीटर</td></tr>
</table>

बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को एतद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर भावी ब्याज सहित कुल बकाया भुगतान करने का अन्तिम अवसर दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री अनुसूची के अनुसार कर दी जायेगी। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी की तिथि से पूर्व जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

यह ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल **https://DisposalHub.com** के माध्यम से 28.03.2024 को 2.00 बजे अप से 3.00 बजे अप के बीच आयोजित की जायेगी।

**नियम एवं शर्तें** : 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रतिभूत लेनदार के विवेकानुसार लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि शाखा पता में देय "टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि." के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को नीलामी के पश्चात डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी जमा करने के लिए कृपया अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। 5. उच्चतम संविदाकार को सफल संविदाकार घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह संविदा के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और बशर्ते कि उसके द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इतना अपर्याप्त हो कि यह ऐसा करने के लिए अपरामर्शनीय हो तो 'अधिकृत प्राधिकारी' का विशेषाधिकार होगा कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को मना कर दे। 6. दर्ज कारणों से, 'अधिकृत प्राधिकारी' विक्रय को स्थगित/अनिरन्तर करने का विशेषाधिकार रखेगा। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 20.03.2024 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है। 8. सफल क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद क्रय राशि/संविदा जिसमें ईएमडी राशि शामिल है, का पच्चीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा और इस राशि के जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को निजी सन्धि द्वारा पुनः नीलामी/बिक्री के लिए रखा जायेगा। 9. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि अदा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की तिथि के 15वें दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो इसे 15वें दिन के बाद पहले कार्यालयी दिन पर जमा करनी होगी। 10. उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति की फिर से नीलामी/बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के सभी दावों से वंचित हो जाएंगे। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात किसी भी ऋणभार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी हैः उपरोक्त तालिका के अनुसार। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति कर, बिजली आदि के वैधानिक देनदारियों सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करें। 12. अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, पता #203, दूसरी मंजिल, श्री श्याम पैलेस, सेक्टर 4 एवं 5, क्रॉसिंग रेलवे रोड, गुरुग्राम-122 006 से इसके मोबाइल नं. +91 97100 29933, +91 98100 29926, दूरभाष नं. +91 124 4 233 933, ई-मेल आईडी : **CSD@disposalhub.com** अथवा मनीष बंसल से ई-मेल आईडी : **Manish.Bansal@tatacapital.com.** अधिकृत प्राधिकारी तथा मोबाइल नं. 8588983696 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी पूछताछ ह्वाट्सएप नम्बर : 9999078669 पर करें। 13. उच्चतम संविदाकार को उच्चतम घोषित संविदा राशि पर 1% टीडीएस प्रयोज्य एवं देय होगा। यह भुगतान उच्चतम संविदाकार द्वारा स्वामी/कर्जदार(रों) के पैन में जमा करनी होगी तथा चालान की प्रति हमारी कम्पनी के पास जमा करनी होगी। 14. उपर्युक्त विवरण के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **http://surl.li/rfvvp** में प्रावधानित लिंक देखें। 15. कृपया लिंक **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html** भी देखें।

**कृपया ध्यान दें** - टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी भी दलाल/एजेंट को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक पार्टियों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : दिल्ली तथा उ.प्र.
तिथि : 12.03.2024

ह./- अधिकृत प्राधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

---

## हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पताः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
शाखा पताः 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

### सार्वजनिक सूचना ( अचल संपत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत)

**वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूति ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना**

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों), अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूति ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय 28-मार्च-2024(नीलामी तिथि) को "जैसी है जहां है" एवं "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं अथवा गारंटरों की ओर देय-भुग्तेय बकाया राशियों की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक ई-नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी को बोली फॉर्म के साथ डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए, जिसे हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को शाखा कार्यालय : 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार नई दिल्ली-110057 में 27 -मार्च-2024को शाम 5 बजे तक या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए।

| ऋण खाता सं. | उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि के नाम | मांग सूचना की तिथि / तिथि के अनुसार राशि | आधिपत्य का प्रकार (रचनात्मक/भौतिक के अंतर्गत) | आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि |
|---|---|---|---|---|
| HHFNSPHOU20000010483 & HHFNSPIPL20000010484 | हिमांशु शर्मा, विमलेश शर्मा | 16/03/2023<br>08/03/2024 के अनुसार रु. 24,40,017/- | भौतिक | रु. 15,30,000/-<br>रु. 1,53,000/- |

**संपत्ति का विवरणः** प्लॉट नंबर सी-1/65, डीएलएफ अंकुर विहार, गांव-लोनी, परगना और तहसील लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित फ्लैट नं.-एफएफ-2, एमआईजी , बिना छत के पहली मंजिल, सामने का एलएचएस जिसमें एक ड्राइंग/डाइनिंग रूम, दो बेडरूम, दो शौचालय, एक रसोईघर और बालकनी है, जिसका पूरा कवर क्षेत्र 484 वर्ग फुट यानी 44.96 वर्ग मीटर है। चौहद्दी : उत्तर में : 12 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्वः प्लॉट नंबर सी-1/64 ,दक्षिण : अन्य का फ्लैट, पश्चिम : फ्लैट नंबर एफएफ-1 (एचआईजी )

**नियम एवं शर्तेंः ई-नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से 28-मार्च-2024(ई-नीलामी तिथि) दोपहर 2.00 बजे के बाद 10 मिनट के सीमित विस्तार के साथ होगी। इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि या तो आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से या "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करनी होगी। ई-नीलामी के समापन के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी।**

**नियम और शर्तेंः** 1. ई-नीलामी "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" और "जो कुछ है के आधार पर" और "बिना किसी सहारे के" के आधार पर "ऑनलाइन" आयोजित किया जा रहा है। 2. बोली वृद्धि राशि रु.15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये मात्र)होगी। 3. ई-नीलामी अपने वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (हेल्पलाइन नंबरः 07961200576/544/594/596/531/583/569, 6351896643 और ई-मेल support@auctiontiger.net/maulik.shrimali@auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 4. सुरक्षित लेनदारों की जानकारी में संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व, दावे/अधिकार/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। इस संबंध में, ई-नीलामी विज्ञापन हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की किसी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। 5. प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट : www.herohousingfinance.com पर प्रकाशित हैं। 6. संभावित बोलीदाता पूर्व अपॉइंटमेंट के साथ 21-मार्च-2024 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

**ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता हेतु 15 दिवसीय विक्रय सूचना**

उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता/बंधककर्ता/गारंटरगणों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व तिथि के अनुसार नियत ब्याज एवं व्ययों के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना में अंकितानुसार कुल बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई निकलती है, की वसूली आपसे ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूति ऋणदाता) की वेबसाइट अर्थात् www.herohousingfinance.com पर उपलब्ध लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice का संदर्भ ग्रहण करें।

कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि.
प्राधिकृत अधिकारी
श्री सुनील यादव, मो.- 9818840495
ईमेल: assetdisposal@herohfl.com

दिनांकः 12.03.2024
स्थानः दिल्ली/एनसीआर

---

## OMKARA ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : सं. 9, एमपी नगर, प्रथम गली, कोंगु नगर एक्स., तिरुपुर-641607
कॉर्पोरेट कार्यालय : कोहिनूर स्क्वैयर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक,
दादर वेस्ट, मुम्बई 400 028, दूरभाष : 022-69231111/8591439533.

(परिशिष्ट-IV-A) (नियम 8(1), 8(6) एवं 6(2) का प्रावधान देखें)

### अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

ई-नीलामी की तिथि : 30 मार्च, 2024

**प्रतिभूत हित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1), 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना**

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार अर्थात **ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल)** जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी है और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("सरफैसी अधिनियम, 2002") की धारा 3 के तहत एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ विधिवत पंजीकृत है, जिसका सीआईएन नं. व **67100TZ2014PTC020363** और **पंजीकृत कार्यालय 9, एमपी नगर, प्रथम गली, कोंगु नगर एक्स., तिरुपुर-641607 तथा कॉर्पोरेट कार्यालय : कोहिनूर स्क्वैयर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर वेस्ट, मुम्बई 400 028 है और ओमकारा पीएस-26/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत** के पास नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति [प्रतिभूत आस्ति/बंधक सम्पत्ति] बंधक/प्रभारित है। इसने एसाइन एग्रीमेंट दिनांक 30.09.2021 के माध्यम से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) से सम्पत्ति अन्तर्निहित प्रतिभूतियों सहित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं के समस्त अधिकार, स्वामित्व तथा हित अधिग्रहीत कर लिये हैं।

आगे अपर जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा 2022 के मेमो सं. 10978 दिनांक 17.05.2023 द्वारा जारी आदेश के माध्यम से प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूत आस्तियों को 11.01.2024 को भौतिक कब्जा कर लिया है और उक्त सम्पत्तियों की बिक्री **"जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वही है"** आधार पर नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं से प्रतिभूत लेनदार के नीचे उल्लिखित बकाया की वसूली के लिए बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि (ईएमडी) एवं अन्य विवरण नीचे उल्लिखित हैं।

| कर्जदार तथा सहकर्जदार का नाम | बकाया देय रु. में | माँग सूचना की तिथि | भौतिक कब्जे की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1)सोनू शर्मा (कर्जदार/गिरवीकर्ता) और 2) मंगेश शर्मा (सह-कर्जदार) | 23-06-2021 को रु. 19,53,173/- (रुपये उन्नीस लाख तिरपन हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) और उस पर आज तक का संविदात्मक ब्याज और अन्य शुल्क। | 23.06.2021 एमएचएफएल द्वारा | 11-01-2024 |

संपत्ति की आरक्षित कीमत और जमा धरोहर राशि का उल्लेख नीचे संबंधित कॉलम में किया गया है।

| अचल सम्पत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य | ईएमडी |
|---|---|---|
| हाउस बियरिंग नगर निगम संख्या 18/86 मैथन कोतवाली वार्ड तहसील और जिला आगरा- 282003 में स्थित, माप 116.12 वर्ग मीटर। पूर्वः 10 फीट लेन, पश्चिमः मकान नंबर 18/106 राम किशन श्रीवास्तव, उत्तरः मकान नंबर 18/85 छोटे लाल वर्मा, दक्षिणः मकान नंबर 18/87 जयंती सरन शर्मा | रु. 12,00,000/- | रु. 1,20,000/- |

| | |
|---|---|
| निरीक्षण की तिथि और समय | तिथिः 20-03-2024 समयः 2:00 बजे अप. से 4:00 बजे अप. |
| नीलामी की तिथि और समय | तिथिः 30-03-2024 समयः 3:00 बजे अप. से 5:00 बजे अप. |
| ईएमडी का भुगतान तथा बोली प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि | तिथिः 28-03-2024, 6:00 बजे अप. तक |
| वृद्धि मूल्य | रु 10,000/- |

**नीलामी के नियम और शर्तें:** 1. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई-नीलामी सेवा प्रदाता **"मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड"**, दूरभाष हेल्पलाइनः +91-7291981124/25/26, हेल्पलाइन ईमेल आईडीः **support@bankeauctions.com** या श्री भाविक पंड्या, **मोबाइलः** 88666 82937 ईमेल **maharashtra@c1india.com** से संपर्क कर सकते हैं।
2. संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न या संपत्ति अनुसूची के निरीक्षण के लिए, इच्छुक व्यक्ति संबंधित प्राधिकृत अधिकारी - **कल्पेश ओझा (मोबाइल 9769825323)**, ई-मेलः **kalpesh.ojha@omkaraarc.com** या कार्यालय समय में कार्य दिवसों के दौरान ऊपर बताए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं।

**बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया http://omkaraarc.com/auction.php में प्रावधानित लिंक देखें।**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत बिक्री हेतु विधिक सूचना**

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) तथा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को लागत तथा व्ययों सहित यहाँ ऊपर वर्णित के अनुसार बकाया देयताओं को अदा करके यदि उनके द्वारा वांछित हो तो आस्तियों को छुड़ाने का परामर्श देने के साथ उपर्युक्त सन्दर्भित तिथि एवं समय तक ई-नीलाम के माध्यम से नीलामी/बिक्री करने की सूचना देते हुए तीस (30) दिन की अनिवार्य सूचना भी है। भुगतान में चूक करने की स्थिति में अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के विवेकाधिकार पर प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी माध्यम से सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।

तिथि : 12.03.2024
स्थान : मुम्बई

ह./- अधिकृत प्राधिकारी
ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्रा.लि.
(ओमकारा पीएस 26/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)